6/5/24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष
हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक....17/5/24....को पेश हो।

17/5/24 पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली वास्ते बहस 27/5/24 को पेश हो।

17/5/24

27/5/24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष
हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक....6/6/24....को पेश हो।

6/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक सम्पदा पर सभी वारिसान का समान हक व हिस्सा विद्यमान होता है। चूंकि विवादित अराजीयात पैतृक कृषि भूमि है। अत: उपरोक्त विवेचना के आधार पर वाद वादिया विरुद्ध प्रतिवादी गण डिक्री किया जाता है। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर, (द्वितीय) सीकर

यह फैसला आज दिनांक 6/6/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

पीठासीन अधिकारी– मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

दावा संख्या 14/2015

संगीता पत्नी श्री महेश कुमार पुत्री महेन्द्र कुमार जाति जाट ग्राम कूदन तहसील घोद जिला सीकर राज. हाल निवासीनी ग्राम पूरा छोटी तहसील घोद जिला सीकर राज.

– वादिया –

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र घडसीराम
2. महेन्द्र कुमार पुत्र मांगीलाल
3. जयप्रकाश पुत्र महेन्द्र कुमार
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कूदन तहसील धोद जिला सीकर
4. तहसीलदार महोदय, धोद जिला सीकर
5. उप पंजीयक महोदय, धोद जिला सीकर
6. प्रबंधक आर जी बी शाखा कूदन जिला सीकर

प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री राजेश चौधरी– वकील वादिया की ओर से
2. श्री महेन्द्र सुण्डा– वकील प्रतिवादीगण संख्या 1ता 3 की ओर से।

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अं0 धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक – 6/6/24

वादिया की ओर से वाद पत्र बाबत उद्घोषणा, बंटवारा रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसका संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है ग्राम कूदन तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नं0 507, 508 व 509 है। वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें वादिया का 1/4 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारिणी है। उक्त आराजियात के बाबत दिनांक 14.05.1998 को उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष वाद संख्या 188/97 बउनवानी महेन्द्र कुमार बनाम मांगीलाल प्रस्तुत करने पर वादिया के भाई प्रतिवादी संख्या

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

3 जय प्रकाश के नाम से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सहमति से वाद डिक्री कर 1/3–1/3 हिस्से का वाद प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में 1/2 हिस्से की खातेदारी व प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल के पक्ष में 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित कि गई जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जानबूझकर न्यायालय को मुगलता देकर वादिया के पक्ष में उक्त पैतृक कृषि भूमि का हिस्सा अंकित नही करवाकर कानूनी भूल कि है। अतः वाद वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी कृषि भूमि में वादिया को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के साथ संयुक्त रूप से 1/4–1/4 हिस्से को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा 1/4 हिस्से का बंटवारा कर अलग राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा वकील उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14/05/98 द्वारा उक्त आराजीयात के 1/2 भाग का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 है व 1/4–1/4 भाग के खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है।वादिनी शादीशुदा औरत है जो अपने ससुराल ग्राम पुरां छोटी में रहती है जिसका विवादग्रस्त आराजीयात में कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही है। वादिया का वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा नही है और न ही वादिया विवादग्रस्त आराजीयात की खातेदार है। अतः बिना कब्जा व खातेदारी के वादिया किसी प्रकार की कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारितणी नही है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

वाद में तनकियात कायम की गई–

1. आया वादिया ग्राम कूदन तहसील धोद जिला सीकर की भूमि खसरा नं0 507, 508, 509 किता 3 रकबा 4.96 है0 मे 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार उद्घोषित करवाने की अधिकारिणी है ?
2. आया वादग्रस्त भूमियां पैतृक कृषि भूमियां है ?
3. आया वादिया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारिणी है?
4. आया वादिया को प्रतिवादी सं0 2 के जीवनकाल मे विवादग्रस्त भूमियों मे कोई हक अधिकार नही है ?

वादिया के समर्थन में साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पी डब्लू 1 व पी डब्लू 2 पेश किये। जिन वकील प्रतिवादी की जिरह दर्ज कि गई।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

प्रविादीगण के समर्थन में साक्ष्य हेतु शपथ पत्र डी डब्लू 1 पेश किये। जिन पर वकील वादी की जिरह दर्ज कि गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। जो मुताबिक दावा व जवाब दावा रही।

वकील प्रतिवादी ने न्यायिक दृष्टांत

1. आरआरटी 2017(2)
2. 2022 आरबीजे 745
3. 2017(2) आरआरटी 1362 पेश किये।

प्रकरण निस्तारण हेतु तनकीवार विशेलषण किया जाना आवश्यक है–

1. तनकी संख्या 1 को साबित किये जाना का जिम्मा वादिया है। वादिया ग्राम कूदन तहसील धोद जिला सीकर की भूमि खसरा नं0 507, 508, 509 किता 3 रकबा 4.96 है0 मे 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार उद्घोषित करवाना चाहती है। सर्वप्रथम प्रतिवादी महेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य हेतु शपथ पत्र में दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि संगीता महेन्द्र कुमार की पुत्री है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श संख्या 8 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 14.05.1998 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात पैतृक है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 14.05.1998 की पालना में वादिया के पिता प्रतिवादी सं0 2 व वादिया के भाई प्रतिवादी सं0 3 को महेन्द्र कुमार प्रतिवादी सं0 2 के पिता प्रतिवादी सं0 1 मांगीलाल से प्राप्त हुई है। दस्तावेज संख्या प्रदर्श 8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के प्रकरण बउनवानी महेन्द्र कुमार बनाम मांगीलाल में वादिया को पक्षकार नही बनाया गया था। जिस कारण वादिया को उक्त निर्णय में अपनी पैतृक भूमि में से उसका हिस्सा नही मिल पाया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार पैतृक सम्पदा में सभी वारिसान बराबर हक व हिस्सा निहित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 वादिया के पक्ष में प्रमाणित होती है।

2. तनकी संख्या 2 व 3 को साबित किये जाने का जिम्मा वादिया का है। प्रतिवादी संख्या 2 अपने साक्ष्य जिरह में स्वीकार किया हे कि वादिया प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री है। अतः तनकी संख्या 2 व 3 वादिया के पक्ष में प्रमाणित कि जाती है।

3. तनकी संख्या 4 को साबित किये जाने का जिम्मा प्रतिवादीण को है। प्रतिवादी संख्या 2 अपने पिता के जीवनकाल में ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में दावा प्रस्तुत कर अपने व अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से की उदघोषणा करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक सम्पदा सभी वारिसान का समान हक व हिस्सा विद्यमान होता है।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रमाणित नही होती है।

उपर्युक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वाद वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/6–1/6 बहिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को वादिया के 1/6 में स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

(मुनेश कुमारी)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर
सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

निर्णय आज दिनांक 6/6/24 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर
सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर